R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड VIII ◆ अंक 5
नवम्बर 2011

# मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

## नीति

### बचत बैंक जमा ब्याज दर विनियंत्रित की गई

रिज़र्व बैंक ने बचत बैंक जमा ब्याज दर को 25 अक्तूबर 2011 से विनियंत्रित किया है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपनी बचत बैंक जमा ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं :

- प्रत्येक बैंक 1 लाख रुपये तक की बचत बैंक जमाराशियों पर एक समान ब्याज दर प्रदान करेंगे चाहे इस सीमा के भीतर खाते में राशि कुछ भी हो।
- 1 लाख रुपये से अधिक बचत बैंक जमाराशियों के लिए बैंक विभेदक ब्याज दरें प्रदान करने का विकल्प चुन सकते हैं बशर्ते वे ऐसी जमाराशियों पर देय ब्याज अर्थात् अपने किसी कार्यालय में एक ही तारीख को स्वीकृत समान राशि की एक जमाराशि तथा दूसरी जमाराशि के बीच देय ब्याज के मामले में कोई भेद नहीं करेंगे।

उपर्युक्त संशोधित दिशानिर्देश केवल निवासी भारतीयों के बचत बैंक जमाराशियों पर लागू होंगे।

### अनिवासी बाह्य और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाओं पर ब्याज दरें बढ़ाई गईं

#### अनिवासी बाह्य (एनआरइ) जमाराशियाँ

मौजूदा बाज़ार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अगली सूचना प्राप्त होने तक और 23 नवंबर 2011 को भारत में कारोबार बंद होने के समय से अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरइ) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर निम्नानुसार होंगी:

एक से तीन वर्ष की परिपक्वता वाले नए अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरइ) मीयादी जमा पर ब्याज दरें अमरीकी डॉलर की तदनुरूपी परिपक्वता के लिए पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस को लिबोर/स्वैप दर तथा (+)275 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह ब्याज दरें तीन वर्ष की परिपक्वता अवधि की जमाराशियों और जमाराशियाँ जो अपनी वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत की गई जमाराशियों पर भी लागू होंगी।

पूर्व में 15 नवंबर 2008 से अनिवासी बाह्य जमाराशियों पर ब्याज दर लिबोर/स्वैप दर तथा (+) 175 आधार अंकों तक निर्धारित की गई थी।

#### विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियाँ

यह निर्णय लिया गया है कि अगली सूचना प्राप्त होने तक और 23 नवंबर 2011 को भारत में कारोबार बंद होने के समय से विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज दर निम्नानुसार होंगी:

23 नवंबर 2011 को भारत में कारोबार की समाप्ति के बाद शुरू की गई सभी परिपक्वता वाली एसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर संबंधित मुद्रा/तदनुरूपी परिपक्वताओं के लिए लिबोर/स्वैप पर तथा (+) 125 आधार अंक की सीमा दर के भीतर होंगी। अस्थिर ब्याज जमाराशियों पर ब्याज दर संबंधित मुद्रा/परिपक्वता के लिए स्वैप दरों की सीमा तथा (+) 125 आधार अंक के भीतर होंगी और ब्याज पुनर्निर्धारण अवधि छह महीने की होगी।

पूर्व में इन जमाराशियों पर ब्याज दर 15 नवंबर 2008 से लिबोर/स्वैप दर तथा (+) 100 आधार अंक थी।

इस संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित अन्य सभी शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

### विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर उच्चतम ब्याज दर सीमा

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की हाल की घटनाओं के कारण चलनिधि की सख्त किल्लत तथा ऋण स्प्रेड में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा में दिए गए निर्यात ऋण पर अधिकतम ब्याज दर लाइबोर से 200 आधार अंक अधिक की वर्तमान सीमा को तत्काल प्रभाव से 31मार्च 2012 तक बढ़ाकर लाइबोर से 350 आधार अंक अधिक किया है बशर्ते फुटकर खर्च की वसूली को छोड़कर बैंक सेवा प्रभार, प्रबंधन

### विषय सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| **नीति** | |
| बचत बैंक जमा ब्याज दर विनियंत्रित की गई | 1 |
| अनिवासी बाह्य और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाओं पर ब्याज दरें बढ़ाई गईं | 1 |
| विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर उच्चतम ब्याज दर सीमा | 1 |
| रिपो /प्रत्यावर्तनीय रिपो /सीमांत स्थायी सुविधा दरें | 2 |
| बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं | 2 |
| आवास ऋणों पर 1% ब्याज अनुदान की योजना | 2 |
| **शाखा बैंकिंग** | |
| बैंकों में मीयादी/सावधि जमाओं का पुनर्भुगतान | 2 |
| चेक/ड्राफ्ट/भुगतान आदेश/बैंकर चेकों का भुगतान | 3 |
| **फेमा** | |
| बाह्य वाणिज्यिक नीति संशोधित | 3 |
| भारत में आयात हेतु व्यापार ऋण | 3 |
| निर्यात से प्राप्य राशियों को आयात के भुगतान से घटाना | 3 |
| **शहरी सहकारी बैंक** | |
| आवास ऋण की सीमा/चुकौती अवधि बढ़ाई गई | 4 |
| तयशुदा लेन-देन प्रणाली - ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) तक सीधी पहुँच | 4 |
| **वर्ष 2011-12 के लिए मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा** | 4 |

प्रभार आदि जैसे कोई अन्य प्रभार नहीं लगाएंगे। ब्याज दरों में इसी प्रकार के परिवर्तन उन मामलों में किए जाएं जहां यूरो लाइबोर/यूरीबोर को बेंचमार्क माना गया है। लागू ब्याज दरें इस पृष्ठ में दिए गए बॉक्स में उल्लिखित की गई हैं।

ब्याज दरों में यह परिवर्तन केवल नये अग्रिमों पर लागू होगा और इन दरों की समीक्षा 31 मार्च 2012 के बाद की जाएगी।

इसके अलावा, विदेशी बैंकों के साथ ऋण व्यवस्था पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2012 तक छह माह लाइबोर/यूरो लाइबोर/यूरीबोर से 100 आधार अंक अधिक से बढ़ाकर छह माह लाइबोर/यूरो लाइबोर/यूरीबोर से 250 आधार अंक अधिक कर दिया गया है और इसकी समीक्षा बाद में की जाएगी।

### रिपो/प्रत्यावर्तनीय रिपो /सीमांत स्थायी सुविधा दरें

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के अंतर्गत रिपो / प्रत्यावर्तनीय रिपो / सीमांत स्थायी सुविधा दरों को 25 अक्टूबर 2011 से निम्न प्रकार संशोधित किया गया है:

**रिपो दर:** 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी करते हुए इसे 8.25 प्रतिशत से 8.50 प्रतिशत किया गया है।

**प्रत्यावर्तनीय रिपो दर:** 7.50 प्रतिशत पर समायोजित की गई है।

**मार्जिनल स्थायी सुविधा:** 9.50 प्रतिशत पर समायोजित की गयी है।

### बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) (संपार्श्विक चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधाएं 25 अक्तूबर 2011 से संशोधित रिपो दर अर्थात् 8.50 प्रतिशत पर उपलब्ध होंगी।

### आवास ऋणों पर 1% ब्याज अनुदान की योजना

रिज़र्व बैंक ने 21 अप्रैल 2011 को सूचित किया था कि आवास ऋणों पर 1% ब्याज अनुदान की योजना को उदार बनाते हुए इसे 15 लाख रुपए तक के उन आवास ऋणों तक बढ़ाया गया है जहाँ मकान की लागत पूर्व में क्रमशः 10 लाख और 20 लाख रुपए की सीमा के बदले 25 लाख रुपए से अधिक नहीं हो।

रिज़र्व बैंक ने अब स्पष्ट किया है कि -

ए) यह योजना 31 मार्च 2012 तक बढ़ाई गई है।

बी) 1 अक्टूबर 2009 और 31 मार्च 2011 के बीच संस्वीकृत और संवितरित किए गए ऋण उदारीकृत नई योजना की परिधि से बाहर हैं और उन पर पुराने अनुदेशों (अर्थात् 20.00 लाख रुपए की परियोजना लागत तक के लिए 10.00 लाख रुपए के ऋण) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

वर्तमान में बैंक मूल योजना के अनुसार पुनर्भुगतान का दावा करते रहेंगे। नई योजनाओं के संबंध में दावों के लिए संशोधित अनुदेशों का पालन किया जाएगा।

ब्याज अनुदान योजना की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

## शाखा बैंकिंग

### बैंकों द्वारा मीयादी/सावधि जमाओं का पुनर्भुगतान

रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि यदि मीयादी/सावधि जमाराशि खाते 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी' इस अनुदेश के साथ खोले गए हैं तो परिपक्वता पर जमाराशि का भुगतान करने के लिए दोनों जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। तथापि, परिपक्वता अवधि के पहले जमाराशि का भुगतान करने के लिए दोनों जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करना आवश्यक है। यदि खाता खोलते समय 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी' यह परिचालन अनुदेश दिए गए हों और परिपक्वता अवधि से पहले दोनों में से एक जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो, मृत जमाकर्ता के कानूनी वारिस की सहमति के बिना मीयादी/सावधि जमाराशि का परिपक्वता अवधि से पहले भुगतान न किया जाए। तथापि इससे परिपक्वता अवधि पर उत्तरजीवी को भुगतान करने में कोई बाधा नहीं होगी।

'पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी' परिचालन अनुदेश होने की स्थिति में दोनों जमाकर्ता जीवित होने के बावजूद सिर्फ पूर्ववर्ती व्यक्ति मीयादी/सावधि जमाराशि का परिचालन/ आहरण कर सकता है। तथापि, परिपक्वता अवधि से पहले जमाराशि का भुगतान करने के लिए दोनों जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने चाहिए। यदि पूर्ववर्ती व्यक्ति मीयादी/ सावधि जमाराशि की परिपक्वता अवधि से पहले मृत हो जाता है तो परिपक्वता पर उत्तरजीवी

## विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दरें

| ऋण का प्रकार | ब्याज दरें (वार्षिक प्रतिशत) |
|---|---|
| **(i) पोतलदानपूर्व ऋण** | |
| (क) 180 दिनों तक | लाइबोर/यूरो लाइबोर/यूरीबोर से 350 आधार अंक से अनधिक |
| (ख) 180 दिनों से अधिक और 360 दिनों तक | अवधि बढ़ाते समय 180 दिनों की आरंभिक अवधि पर लागू दर तथा 200 आधार अंक अर्थात् उपर्युक्त (i) (क) तथा 200 आधार अंक |
| **(ii) पोतलदानोत्तर ऋण** | |
| (क) पारवहन अवधि के लिए (फेडाई द्वारा निर्दिष्ट) मांग बिल पर | लाइबोर/यूरो लाइबोर/यूरीबोर से 350 आधार अंक से अनधिक |
| (ख) मीयादी बिल (निर्यात बिलों की मीयाद, फेडाई द्वारा निर्दिष्ट पारवहन अवधिं और जहां लागू हो वहां ग्रेस अवधि सहित कुल अवधि के लिए ऋण) पोतलदान की तारीख से 6 महीने तक | लाइबोर/यूरो लाइबोर/यूरीबोर से 350 आधार अंक से अनधिक |
| (ग) निर्यात बिल (मांग या मीयादी) जिनकी वसूली नियत तारीख के बाद लेकिन क्रिस्टलाइजेशन की तारीख तक होती है। | उपर्युक्त (ii)(ख) की दर तथा 200 आधार अंक |

नोट : (i) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को फुटकर खर्च की वसूली को छोड़कर बैंक सेवा प्रभार, प्रबंधन प्रभार आदि के नाम पर ब्याज दर से अधिक कोई अन्य प्रभार नहीं लगाना चाहिए।

ii) आधार दर संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक उपर्युक्त निर्धारित मीयादों से अधिक अवधि के लिए पोतलदानपूर्व ऋण तथा पोतलदानोत्तर ऋण के लिए ब्याज दर ,रुपया ऋण दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

जमाराशि आहरित कर सकता है। यद्यपि जमाराशि के अवधिपूर्व आहरण के लिए दोनों जमाकर्ता यदि जीवित है, तथा उत्तरजीवी जमाकर्ता और दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर मृत जमाकर्ता के कानूनी वारिस, दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है।

यदि संयुक्त जमाकर्ता 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी या पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी' परिचालन आदेश, जैसे भी स्थिति हो के साथ मीयादी /सावधि जमाराशि का अवधिपूर्व आहरण करना पसंद करते है तो बैंक ऐसा कर सकता है बशर्ते इस प्रयोजन के लिए बैंक ने जमाकर्ताओं से संयुक्त आदेश प्राप्त किया हो।

रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ बैंक मीयादी/सावधि जमाराशि का भुगतान करने के लिए दोनों जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर पर जोर देते हैं यद्यपि जमाराशि खाता 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी या पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी' परिचालन अनुदेश (कभी-कभी 'पुनर्भुगतान निर्देश' कहा जाता है) के साथ खोला गया होता है।

### चेक/ड्राफ्ट/भुगतान आदेश/बैंकर चेकों का भुगतान

रिज़र्व बैंक ने जनहित तथा बैंकिंग नीति के हित में चेकों/ड्राफ्टों/ भुगतान आदेशों/ बैंकर चेकों को जारी करने की तारीख से उन्हें भुगतान के लिए प्रस्तुत करने की अवधि को छः महीने से घटाकर तीन महीना कर दिया है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि बैंकों को 01 अप्रैल 2012 या उसके बाद तिथि वाले चेकों/ड्राफ्टों/ भुगतान आदेशों/बैंकर चेकों का भुगतान उनके जारी होने की तारीख से तीन महीने के बाद प्रस्तुत किए जाने पर नहीं करना चाहिए।

बैंकों को पुनः यह सूचित किया गया है कि वे इन निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और उन्हें 01 अप्रैल 2012 को अथवा उसके बाद जारी चेक पन्नों, ड्राफ्टों, भुगतान आदेशों तथा बैंकर चेकों पर इस प्रथा में बदलाव के बारे में सूचना मुद्रित करके अथवा इस आशय की मुहर लगाकर तथा लिखत की तारीख से तीन महीने के भीतर उसे प्रस्तुत करने का समुचित अनुदेश जारी करते हुए ऐसे लिखतों के धारकों को सूचित करें।

भारत सरकार ने रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह लाया था कि कुछ लोग लिखत जारी करने की तारीख से छः महीने के भीतर प्रस्तुत चेकों/ड्राफ्टों/ भुगतान आदेशों/बैंकर चेकों का भुगतान करने की उक्त प्रथा का अनुचित लाभ उठा रहे हैं क्योंकि इन लिखतों को बाजार में छह महीने के लिए नकद के रूप में चलाया जा रहा है।

## फेमा

### बाह्य वाणिज्यिक नीति संशोधित

वैश्विक वित्तीय बाज़ार में गतिविधियों और वर्तमान समष्टि आर्थिक स्थितियों की समीक्षा के उपरांत भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति के कतिपय पहलुओं को निम्न प्रकार संशोधित किया जाए:

**(i) समस्त लागत सीमा में बढ़ोत्तरी**

बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए समस्त लागत को निम्न प्रकार संशोधित किया गया है:

| औसत परिपक्वता अवधि | छह माह लिबोर से अधिक समस्त लागत* | |
|---|---|---|
| | विद्यमान | संशोधित |
| तीन और पांच वर्ष तक | 300 आधार अंक | 350 आधार अंक |
| पांच वर्ष से अधिक | 500 आधार अंक | 500 धार अंक |

* ऋण अथवा लागू बेंचमार्क की संबंधित मुद्रा के लिए

**(ii) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को सुरक्षित रखना**

भारत में रुपया व्यय जैसेकि पूँजीगत वस्तुओं की स्थानीय रूप से प्राप्ति, स्व-सहायता समूहों को जारी ऋण अथवा माइक्रो ऋण के लिए, स्पेक्ट्रम आबंटन आदि के भुगतान हेतु विदेशी में प्राप्त किए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को भारत में प्राथमिक व्यापारी श्रेणी I बैंकों के पास रुपया खाते में जमा करने के लिए तत्काल लाया जाए। दूसरे शब्दों में केवल विदेशी मुद्रा व्यय के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारों की आय को लंबित उपयोग के लिए विदेश में ही रोका जा सकता है। तथापि, जैसाकि अब तक होता रहा है, रुपया निधियों को पूँजी बाजारों, भू-संपदा अथवा अंतर-कंपनी उधारों में निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति में ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा समस्त लागत सीमा में बढ़ोतरी अगले संशोधन के अधीन 31 मार्च 2012 तक लागू रहेगी।

### भारत में आयात हेतु व्यापार ऋण

वैश्विक वित्तीय बाजार की घटनाओं तथा घरेलू आयातकों द्वारा मौजूदा समग्र लागत उच्चतम सीमा में व्यापार ऋण की प्राप्ति में महसूस की जा रही कठिनाइयों की समीक्षा के उपरांत व्यापार ऋण की मौजूदा समग्र लागत उच्चतम सीमा को निम्न प्रकार संशोधित किया गया है :

| परिपक्वता अवधि | 6 माह से अधिक की लिबोर* दर तक समग्र लागत सीमा | |
|---|---|---|
| | मौजूदा | संशोधित |
| एक वर्ष तक<br>एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक | 200 आधार अंक | 350 आधार अंक |

* ऋण जिस करेंसी में लिया गया है या लागू बेंच मार्क (दर)

समग्र लागत उच्चतम सीमाओं में प्रबंधकर्ता का शुल्क, प्रबंधन शुल्क, हैंडलिंग/प्रोसेसिंग चार्जेज, जेबखर्च और विधिक व्यय, यदि कोई हों, शामिल होंगे।

समग्र लागत उच्चतम सीमा में उक्त परिवर्तन 15 नवंबर 2011 से लागू हो गए हैं तथा वे 31 मार्च 2012 तक लागू रहेंगे। तदुपरांत समग्र लागत उच्चतम सीमा समीक्षा के अधीन है। व्यापार ऋण संबंधी नीति के अन्य पहलू अपरिवर्तित बने रहेंगे।

### निर्यात से प्राप्य राशियों को आयात के भुगतान से घटाना

अगले उदारीकरण के एक उपाय के रूप में रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को 'निर्यात से प्राप्य राशियों को आयात के भुगतानों से घटाने' के मामलों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्रवाई करने के लिए अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है :

- आयात लागू विदेशी व्यापार नीति के अनुसार हो।
- घरेलू उपयोग के लिए आयातक द्वारा किए गए आयात की इनवाइसें/ लदान बिल/हवाई बिल और पत्तन प्रवेश बिल संबंधी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की प्रतियां प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत की गयी हों।
- आयातक की बहियों में आयात के भुगतान अब भी बकाया हों।
- बिक्री तथा खरीद संबंधी लेनदेन दोनों को ही अलग- अलग 'आर' रिटर्न में रिपोर्ट किया गया हो।
- संबंधित जीआर फार्म प्राधिकृत व्यापारी तभी देंगे जब संपूर्ण निर्यात आय/आमद समायोजित/प्राप्त हो जाए।
- निर्यात से प्राप्य राशियों को आयात के लिए देय भुगतान से घटाने की अनुमति एक ही ओवरसीज खरीददार एवं आपूर्तिकर्ता के लिए उसकी सहमति प्राप्त करने के बाद दी जाएगी।
- एशियन क्लियरिंग यूनियन के सदस्य देशों के साथ हुए निर्यात/आयात लेनदेन इस प्रबंध (व्यवस्था) से बाहर रहेंगे।
- सभी संबंधित दस्तावेज संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत किये जाएंगे जो लेनदेन के संबंध में सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्रत्येक महीने के कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चैनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित **Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11**

## शहरी सहकारी बैंक

### आवास ऋण की सीमा/चुकौती अवधि बढ़ाई गई

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) तथा उनके संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि विद्यमान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा के अधीन टीयर-I शहरी सहकारी बैंकों को किसी आवासीय इकाई के प्रति लाभार्थी को अधिकतम 30 लाख रुपए का व्यक्तिगत ऋण तथा टीयर-II शहरी सहकारी बैंकों को किसी आवासीय इकाई के प्रति लाभार्थी को अधिकतम 70 लाख रुपए का व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की अनुमति दी जाए।

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा संस्वीकृत आवास ऋणों की अधिकतम चुकौती अवधि (मुहलत अथवा चुकौती अवकाश सहित) पूर्व की 15 वर्ष की अवधि से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है।

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा आवास ऋण की स्वीकृति से संबंधित अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

### तयशुदा लेन-देन प्रणाली - ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) तक सीधी पहुँच

सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार को अधिक संख्या में सहभागियों के बीच व्यापक बनाने के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है कि लाइसेंस प्राप्त शहरी सहकारी बैंकों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) अधिनियम 1934 की धारा 45-1(सी)(ii) के क्षेत्राधिकार में आने वाली, जमा राशियाँ स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच प्रदान की जाए (अर्थात वे एनबीएफसी-एनडी-एसआइएस जो अपना कारोबार अथवा अपने कारोबार के एक हिस्से के रूप में किसी सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी शेयरों, स्टॉक, बाँण्डों, डिबेंचरों अथवा प्रतिभूतियों अथवा इसी स्वरूप की अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों में कारोबार करते हैं)।

तथापि, लाइसेंस प्राप्त शहरी सहकारी बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - एनडी-एसआइएस को [भारिबैं अधिनियम 1934 की धारा 45-आइ (सी) (ii) के अंतर्गत] एनडीएस-ओएम की सीधी सदस्यता प्रदान करना भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभाग की सहूलियत के अधीन होगा । अतः वे सभी लाइसेंस प्राप्त शहरी सरकारी बैंक तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआइएस जो नीचे दिए गए मानदण्डों के अनुसार पात्र हैं, वे एनडीएस-ओएम की सदस्यता हेतु आवेदन करते समय अपने संबंधित विनियामक विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करें।

**मानदण्ड**

*लाइसेंस प्राप्त शहरी सहकारी बैंक*

(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाता अथवा निधियों के समायोजन के लिए सीसीआइएल द्वारा नामित समायोजन बैंकों में से एक बैंक के पास निधि खाता
(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास एसजीएल खाता
(सी) तयशुदा लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) की सदस्यता
(डी) इंडियन फाइनैन्शियल नेटवर्क (इन्फिनेट) कनैक्टीविटी
(ई) सीसीआइएल की सदस्यता
(एफ) जोखिम भारित आस्ति अनुपात के 9% की न्यूनतम पूंजी
(जी) 5% से कम निवल गैर निष्पादित आस्तियाँ
(एच) 25 करोड़ रु. की निवल संपत्ति

*गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - एनडी-एसआइएस*

(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाता अथवा निधियों के समायोजन के लिए सीसीआइएल द्वारा नामित समायोजन बैंकों में से एक बैंक के पास निधि खाता
(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास एसजीएल खाता
(सी) तयशुदा लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) की सदस्यता
(डी) इंडियन फाइनैन्शियल नेटवर्क (इन्फिनेट) कनैक्टीविटी
(ई) सीसीआइएल की सदस्यता
(एफ) 100 करोड रु. की न्यूनतम शुद्ध स्वाधिकृत निधि
(जी) पिछले तीन वर्ष के लिए 3% से कम निवल अनर्जक आस्तियाँ
(एच) पिछले तीन वर्ष के लिए शुद्ध लाभ

# वर्ष 2011-12 के लिए मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा

डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 अक्टूबर 2011 को प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ एक बैठक में वर्ष 2011-12 के लिए मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा प्रस्तुत की। मुख्य-मुख्य बातें:

**अनुमान**

- वर्ष 2011-12 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का बेसलाइन अनुमान में कमी का संशोधन करते हुए 7.6 प्रतिशत रखा गया है।
- मार्च 2012 के लिए थोक मूल्य सूचकांक के बेसलाइन अनुमान में कोई परिवर्तन नहीं करते हुए इसे 7.0 प्रतिशत रखा गया है।
- वर्ष 2011-12 के लिए एम3 वृद्धि अनुमान 15.5 प्रतिशत रखा गया है।
- गैर-खाद्य ऋण का अनुमान 18 प्रतिशत रखा गया है।

**रूझान**

- ऐसा ब्याज दर वातावरण बनाए रखा जाए जो मुद्रास्फीति कम करे और जो मुद्रास्फीति संभावनाओं पर नियंत्रण रखे;
- प्रवृत्ति वृद्धि को बढ़ाने में समर्थन के लिए निवेश गतिविधि को प्रोत्साहित करना; और
- यह सुनिश्चित करने के लिए चलनिधि का प्रबंधन करना कि यह प्रभावी मौद्रिक अंतरण के अनुरूप नियंत्रित घाटे में बनी रहे।

**मौद्रिक उपाय**

- बैंक दर 6.0 प्रतिशत रखी गई है।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो दर को 25 आधार अंकों तक बढ़ाते हुए इसे 8.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.50 प्रतिशत किया गया है।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर 7.5 प्रतिशत पर समायोजित की गई है।
- रिपो दर से 100 आधार अंक अधिक के अंतर पर निर्धारित सीमांत स्थायी सुविधा दर (एमएसएफ) 9.5 प्रतिशत पर समायोजित की गई है।
- अनुसूचित बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 6.0 प्रतिशत पर रखा गया है।

**अपेक्षित परिणाम**

मौद्रिक नीति कार्रवाइयों और मार्गदर्शन से यह अपेक्षित है कि:

- मुद्रास्फीति को कम और स्थायी बनाने की विश्वसनीय प्रतिबद्धता के आधार पर मध्यावधि मुद्रास्फीति संभावनाएं नियंत्रित रहेंगी।
- मुद्रास्फीति का जो वक्र सामने आएगा वह सुदृढ़ हो जाएगा जिसमें दिसंबर 2011 में गिरावट की शुरुआत होने की आशा है।
- इससे निवेश गतिविधि को प्रोत्साहन मिलेगा।

**अल्पना किल्लावाला** द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

**ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**